न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

(पीठासीन अधिकारी– नीरज कुमार मीना, आर.ए.एस)

वाद संख्या – 553/2008
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 11.02.2019

1. जवाहर पुत्र रामसिंह जाति जाट साकिन बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर राज.

– प्रार्थीयागण

बनाम

1. परसराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. चेतराम पुत्र सोहनलाल जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर
3. हरभेजी पत्नि पदमसिंह जाति जाट निवासी बैलारा तहसील नदबई जिला भरतपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

– अप्रार्थीगण

उपस्थितः– 1. श्री लक्ष्मणसिंह एण्ड0

निर्णय – दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर. टी. ए.

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार यह है कि आराजी खसरा नम्बरान् 200 रकवा 0.36, 201 रकवा 0.41 व 388 रकवा 0.01 व 389 रकवा 0.37 व 474 रकवा 0.25 व 478 रकवा 0.18 व 479 रकवा 0.19 किता 7 कुल रकवा 1.77 हैक्टेयर वाकेग्राम बैलारा तहसील नदबई के 1/6 हिस्सा पर वादी सह खातेदार की तरह काबिज है तथा शीर्ष 1/6 हिस्से पर प्रतिवादी असल सं. 1 व 2 सहखातेदार काबिज है तथा शीर्ष हिस्से के अन्य सह खातेदारान खातेदार व काबिज है तथा हाल आराजी खसरा नम्बरान् 594 रकवा 0.08 व 595 रकवा 0.08व 597 रकवा 0.10 व 599 रकवा 0.09 व 600 रकवा 0.08 व 601 रकवा 0.16 व 596 रकवा 0.07 किता 7 कुल रकवा 0.66 हैक्टेयर वाके बैलारा के 7 X 4.8 हिस्से पर वादी सह खातेदार की तरह खेवार है शीर्ष 7 X 4.8 हिस्से का प्रतिवादीगण असल सं. 1 व 2 सह खातेदार काबिज है व शीर्ष हिस्से के अन्य हिस्सेदारान सहखातेदार काबिज है तथा हाल आराजी खसरा नं. 1052 रकवा 0.10 हैक्टेयर वाके बैलारा का 1/6 हिस्सा का वादी सहखातेदार की तरह काबिज है। शेष 1/6 हिस्से पर प्रतिवादीगण असल सं. 1 व 2 का सहखातेदार व काबिज है। शेष हिस्से पर अन्य सहखातेदार व काबिज है तथा आराजी खसरा नम्बरान् 762 रकवा 0.16 व 773 रकवा 0.02 व 774 रकवा 0.03 किता 3 कुल

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रकवा 0.21 हैक्टेयर वाके ग्राम बैलारा के 1/2 हिस्से पर वादी सह खातेदार की तरह काबिज है तथा 1/2 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सह खातेदार व काबिज है तथा हाल आराजी खसरा नं. 446 रकवा रकवा 0.10 व 447 रकवा 0.09 व 528 रकवा 0.05 व 766 रकवा 0.01 व 1002 रकवा 0.24 व 1027 रकवा 0.29 व 1274 रकवा 0.13 किता 8 कुल रकवा 0.92 हैक्टेयर वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई के 1/6 हिस्से पर वादी सह खातेदार की तरह काबिज है तथा शेष 1/8 हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 सह खातेदार व काबिज है तथा शीर्ष हिस्से के अन्य सह खातेदारान् काबिज खातेदार है तथा आराजी खसरा नम्बरान् 1370 रकवा 0.06 व 1371 रकवा 0.08 किता 2 कुल रकवा 0.14 हैक्टेयर वाके बैलारा के 1/6 हिस्से पर वादी सहखातेदार काबिज है तथा शेष 1/6 हिस्से का प्रतिवादीगण असल सं. 1 व 2 सह खातेदार काबिज है तथा शेष हिस्से के अन्य सह खातेदारान खातेदार व काबिज है तथा आराजी खसरा नम्बरान 826 रकवा 0.12 व 827 रकवा 0.13 व 829 रकवा 0.14 व 830 रकवा 0.13 व 831 रकवा 0.11 किता 5 कुल रकवा 0.63 हैक्टेयर वाके बैलारा तहसील नदबई में स्थित है जिसके 1/2 हिस्से पर वादी तथा 1/12 हिस्से का प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 खातेदार काबिज है तथा शेष हिस्से के अन्य हिस्सेदारान खातेदार काबिज है सत्य प्रति जमाबंदी हाल संलग्न है। हाल आराजी खसरा नं. वर्णित मद सं. 2 वाद पत्र खसरा नम्बरान् 200 व 201 व 388 व 474 व 594 व 595 व 596 व 597 व 599 व 600 व 601 व 1052 व 762 व 773 व 774 व 446 व 447 व 528 व 766 व 769 व 1002 व 1027 व 1274 व 1370 व 1371 व 826 व 827 व 829 व 830 व 831 वाकेग्राम बैलारा साबिक खसरा नं. 131 व 132 व 547 व 556 व 596 व 597 व 281 व 280 व 279 व 757 व 349 व 353 व 472 व 471 व 459 व 356 व 359 व 692 व 786 व 863 व 957 व 401 व 402 व 404 व 405 व 406 वाके ग्राम बैलारा से बने हैं। साबिक आराजी खसरा नम्बरान् 131 व 132 व 547 व 556 व 597 व 596 व 472 व 471 व 459 व 356 व 359 व 692 व 786 व 863 व 957 व 958 व 401 व 402 व 404 व 405 व 406 वाके ग्राम बैलारा से बने हैं।

साबिक आराजी खसरा नं. 131 व 132, 547 व 556, 597 व 596 व 472 व 471 व 459 व 356 व 359 व 692 व 786 व 863 व 757 व 957 व 958 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई के 1/3 हिस्से का तथा आराजी खसरा नं. 401 व 402 व 404 व 405 व 406 के 1/6 हिस्से का तथा साबिक खसरा नं. 279, 280, 281 वाके ग्राम बैलारा के 7/24 हिस्से का तथा खसरा नं. 349 व 353 के सम्पूर्ण हिस्से का तारीख 22.06.1977 तक वादी खातेदार व काबिज काश्तकार था। दिनांक 22.06.1977 को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा वादी ने खसरा नम्बर 131, 132, 547, 556 व 597, 596, 757, 472 व 471 व 459 व 356, 359 व 692, 786, 863, 957 व 958 वाके ग्राम बैलारा के अपने 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा यानि कि 1/6 हिस्सा तथा खसरा नं. 401, 402, 404, 405, 406 वाके ग्राम बैलारा के अपने 1/6 हिस्सा से 1/2 हिस्सा यानि कि 1/12 हिस्सा तथा खसरा नं. 349 व 353 वाके बैलारा के अपने सम्पूर्ण हिस्से में से 1/2 हिस्सा तथा खसरा नम्बरान् 279, 280, 281 वाके बैलारा के अपने 7/24 हिस्से में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण असल सं. 1 व 2

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के पिता सोहनलाल को विक्रय कर दिया गया जिसका इन्तकाल नं. 83 लिखा जाकर तस्दीक किया गया तथा इंतकाल नं. 83 ता. 25.08.1981 में गलती से खसरा नं. 279, 280, 281 किता 3 कुल रकवा 2 बीघा 12 बिस्वा पर असल प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता सोहनलाल के नाम 7/48 हिस्सा अंकित न कर गणितीय भूल से 14/48 हिस्सा अंकित कर दिया गया परन्तु जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 में उक्त नम्बरान के संबंधी इंतकाल नं. 83 का अमल 7/24 किया गया तथा रजि. वयनामा ता. 22.06.77 के मुताबिक जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 में उक्त नम्बरान् के संबंधी इंतकाल नं. 83 का अमल 7/24 किया गया तथा रजि. वयनामा ता. 22.6.2077 के मुताबिक जमाबंदी संवत् 2037 से 40 में खाता संख्या 157 व 55 व 56 के खसरा नम्बरान् पर प्रतिवादीगण असल सं. 1 व 2 के पिता नामअमल किया गया जो कि मुताबिक रजि. वयनामा किया गया था परन्तु जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई पर खसरा नं. 279, 280, 281 वाके बैलारा के 7/24 हिस्से पर तथा खसरा नं. 349 व 353 संपूर्ण पर तथा खसरा नम्बरान् 131 व 132 व 356 व 359 व 459 व 471 व 472 व 547 व 556 व 596 व 597 व 692 व 786 व 863 व 957 व 958 व 1022 वाके ग्राम बैलारा के 1/3 हिस्से पर तथा खसरा नम्बरान 401 व 402 व 404 व 405 व 406 के 1/6 हिस्से पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश व गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 असल के पिता के नाम कर दिये जो कि निष्प्रभावी व शून्य हैं जिन्हें वादी बातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है। उक्त गलत इन्द्राजात के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता के मरने के बाद इंतकाल नं. 104 विरासत तारीख 20.06.2006 से आ गये जिसके आधार पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने बिना किसी अधिकार के गैर कानूनी तरीके से विवादित आराजी में से खसरा नं. 446 रकबा 0.10, 447 रकबा 0.09 किता 2 कुल रकबा 0.19 हैक्ट. वाके बैलारा का 1/3 हिस्सा का वयनामा रजिस्टर्ड तारीख 29.05.2008 को प्रतिवादिनी संख्या 3 के पक्ष में करा दिया है। उक्त रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 29.05.2008 निष्प्रभावी व शून्य है जिसे वादी बातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है। राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से चले आ रहे इन्द्राज खातेदारी बा हक प्रतिवादीगण से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल असर पडता है। अतः वादी विवादित आराजी खसरा नम्बरान् वर्णित मद सं. 2 – 200 रकबा 0.26 व 201 रकबा 0.41 व 388 रकबा 0.01 व 389 रकबा 0.37 व 474 रकबा 0.25 व 478 रकबा 0.18 व 479 रकबा 0.19 किता 7 कुल रकबा 1.77 हैक्ट. व खसरा नम्बर 1052 रकबा 0.10 व 446 रकबा 0.10 व 447 रकबा 0.09 व 528 रकबा 0.05 व 766 रकबा 0.01 व 769 रकबा 0.01 व 1002 रकबा 0.24 व 1027 रकबा 0.29 व 1274 रकबा 0.13 व 1370 रकबा 0.06 व 1371 रकबा 0.08 वाके ग्राम बैलारा के 1/6 हिस्से पर तथा खसरा नम्बरान् रकबा 0.16 व 773 रकबा 0.02 व 774 रकबा 0.03 किता 3 कुल रकबा 0.21 हैक्ट. वाके ग्राम बैलारा के 1/2 हिस्से पर तथा खसरा नम्बरान् 826 रकबा 0. 12 व 827 रकबा 0.13 व 829 रकबा 0.14 व 830 रकबा 0.13 व 831 रकबा 0.11 किता 5 कुल रकबा 0.63 हैक्ट. वाके ग्राम बैलारा के 1/12 हिस्से पर तथा खसरा नम्बरान् 594 रकबा 0.08 व 595 रकबा 0.08 व 597 रकबा 0.10, 599 रकबा 0.09 व 600 रकबा 0.08 व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

601 रकबा 0.16व 596 रकबा 0.07 किता 7 कुल रकबा 0.66 वाके ग्राम बैलारा तहसील नदबई पर प्रतिवादीगण असल 1 व 2 के साथ बाहिस्सा बराबर यानि की 7/144 हिस्से पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण असल 1 व 2 के पिता सोहनलाल पुत्र शोभाराम जाट साकिन बैलारा के मरने के बाद इंतकाल नं. 104 विरासत को बातिल व बेअसर घोषित करा पाने तथा उसके आधार पर प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम आये इन्द्राज खातेदारी के आधार पर कराये गये रजिस्टर्ड वयनामा 22.06. 1977 को बातिल व बेअसर घोषित करा पाने के अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण असल 1 व 2 के नाम बाहिद इन्द्राज खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी है तथा रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 29.05.2008 के आधार पर प्रतिवादिनी सं. 3 द्वारा कराये गये इन्द्राज खातेदारी व इंतकाल को भी वादी कलमजन करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी गण असल 1 लगायत 3 ने वादी को व मुकाम बैलारा पर दिनांक 03.06.2008 को धमकी दी कि विवादित आराजी पर उनके नाम खातेदारी व इन्द्राजात चले आ रहे हैं तथा विवादित आराजी में से खसरा नं. 446 व 447 बाके बैलारा के 1/3 हिस्से का रजिस्टर्ड वयनामा प्रतिवादी सं. 1 व 2 प्रतिवादिनी सं. 3 के पक्ष में दिनांक 29.05.2008 को बिना अधिकार के करा चुके हैं। उक्त वयनामा के आधार पर दाखिले खारिज कराया जाकर प्रतिवादी सं. 4 से साजकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खातेदारी आराजी का अमल करा लेंगे तथा वादी को विवादित आराजी के खसरा नम्बरान् 200 व 201 व 388 व 389 व 474 व 478 व 479 व 1052 व 446 व 447 व 528 व 766 व 769 व 1002 व 1027 व 1274 व 1370 व 1371 बाके बैलारा के 1/6 हिस्से से तथा खसरा नं. 826 व 827 व 829 व 830, 831 के 1/12 हिस्से से तथा खसरा नं. 594, 595, 597, 596, 599, 600, 601 वाके ग्राम बैलारा के 7/144 हिस्से से तथा खसरा नं. 762 व 773, 774 वाके ग्राम बैलारा के 1/2 हिस्से से जबरन बेदखल कर देंगे तथा विवादित आराजी को किसी दीगर व्यक्ति को रहन व मुन्तकिल कर देंगे तथा प्रतिवादी सं. 4 से साजकर रिकार्ड में परिवर्तन करके रहेंगे। उक्त धमकी में कामयाब हो गये तो वादी को अजीम क्षति होगी। अतः वादी प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। अंत में प्रार्थना की कि वाद पत्र वादी निम्न प्रकार डिक्री किया जाये कि विवादित आराजी वर्णित मद सं. 2 की आराजी में से खसरा नं. 200 व 201, 388, 389, 474, 478, 479, 1072, 446, 447, 528, 766, 769, 1002, 1027, 1274, 1370, 1371, के 1/6 हिस्से व खसरा नं. 826, 827, 829, 830, 831 के 1/12 हिस्से तथा खसरा नम्बरान् 762, 773, 774 के 1/2 हिस्सा तथा खसरा नं. 594, 595,596, 597, 599, 600, 601 के 7/48 हिस्सा यानि की प्रतिवादीगण असल 1 व 2 के साथ बहिस्सा बराबर के खातेदार व काबिज है तथा प्रति असल संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया इंतकाल नं. 104, 20.06.2006 निष्प्रभावी व शून्य है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 द्वारा किया गया रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 29.05.2008 बिना अधिकार के होने से बातिल व बेअसर है। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 के नाम के इन्द्राज खातेदारी को कलमजन किया जावे तथा वयनामा रजिस्टर्ड तारीख 29.06.2008 के आधार पर प्रतिवादिनी सं. 3 के नाम के इंतकाल व इन्द्राज खातेदारी को कलमजन किया जावे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा स्थाई निषेधाज्ञा से विरोध प्रतिवादीगण वाहक वादी इस आशय की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी के वादी के हिस्से को किसी दीगर व्यक्ति को रहन व मुन्तकिल न करे। राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखे तथा वादी को विवादित आराजी खसरा नं. 200, 201, 388, 389, 474, 478, 479, 1052,446, 447, 528, 766, 769, 1002, 1027, 1274, 1370, 1371 वाके बैलारा के 1/6 हिस्सा तथा खसरा नं. 826, 827, 829, 830, 831 वाके बेलारा के 1/12 हिस्से तथा खसरा नं. 762, 763, 774 के 1/2 हिस्से तथा खसरा नं. 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601 वाके बैलारा के 7/48 हिस्से से बेदखल न करे जिससे वादी के अधिकारों पर कोई जवाल आये।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से श्री फूलसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब दावा में कहा है कि रिकार्ड व मौके के विपरीत वादी का कोई हिस्सा व हक नहीं है। वादी के नाम उक्त हिस्से का कथनानुसार इन्द्राज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अलावा समस्त इन्द्राज शेष अन्य हिस्सेदारों के दर्ज हैं। वादी का साबिक रिकार्ड में हिस्सा दर्ज होना साबिक रिकार्ड से संबंधित है लेकिन इंतकाल संख्या 83 पर दिनांक 25.08.1981 का कब्जे मौके व वयनामा के आधार पर सही खोला गया है। वादी ने आज तक उक्त इंतकाल नं. 83 की न तो कोई अपील की है और न ही कोई उज्र की है जिसे करीब 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। इसलिये दावा काबिले खारिजी के है। वादी किसी प्रकार अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने का अधिकारी नहीं है और न ही वयनामा दिनांक 22.06.1977 व 29.05.2008 बातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 3 रिकार्ड व मौके के अनुसार बोनाफाइड पर्चेजर है जिसे धारा 41 ट्रांसफर ऑफ प्रोपर्टीज एक्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है लिहाजा वादी का वाद पत्र काबिले खारिज के है।

वादी के वाद पत्र एवं जवाब दावा के अभिवचनों के आधार पर निम्नांकित तनकियां कायम की गईं जो निम्नानुसार है :–

तनकी सं. 1 :– आया विवादित आराजी मद सं. 2 वाद पत्र में वादी हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर अपने हिस्सेनुसार विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से दर्ज चले आ रहे वाहक प्रतिवादीगण दर्ज है जिन्हें वादी अपने हिस्से तक कलमजन करा पाने का अधिकारी है। – जिम्मेवादी

तनकी सं. 2 :– आया वादी सोहनलाल पुत्र सोबाराम प्रति वादी 1 व 2 के पिता के मरने के बाद दर्ज इंतकाल संख्या 104 विरासत को बातिल व बेअसर घोषित करा पाने एवं रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 29.05.2008 को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करा पाने का अधिकारी है। – जिम्मेवादी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तनकी सं. 3 :— आया वादी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। — जिम्मेवादी

तनकी सं. 4 :— आया प्रतिवादी को एडवर्ड पजेशन के आधार पर आराजी मुतनाजा पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं जिसे वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

— जिम्मेप्रतिवादी

तनकी सं. 5 :— आया प्रतिवादी वयनामा तारीख 22.06.1977 को बातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने के कारण वाद पत्र काबिले खारिज के है। — जिम्मेप्रतिवादी

तनकी सं. 6 :— आया प्रतिवादी सं. 3 रिकार्ड व मौके के अनुसार बोनाफाइड पर्चेजर है जिसे धारा 41 ट्रांसफर आफ प्रोपर्टीज एक्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है। लिहाजा वाद पत्र काबिल खारिजी के है। — जिम्मेप्रतिवादी

वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत् 2061 लगायत 64 वाके ग्राम बैलारा Exp.1 लगायत Exp.10, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2060 Exp.11 वाके ग्राम बैलारा, नकल वयनामा फोटोप्रति तारीख 29.05.2008 एवं 22.06.1977 Exp.12, नकल इंतकाल संख्या 83 तारीख 06.06.2008 Exp.13 & 14, वाके ग्राम बैलारा, नकल जमाबंदी संवत् 2042—2045 वाके ग्राम बैलारा Exp.15 & 16, नकल जमाबंदी संवत् Exp.17, वाके ग्राम बैलारा, नकल जमाबंदी संवत् 2037—40 वाके ग्राम बैलारा Exp.18 & 20, वाके ग्राम बैलारा पेश की गई। मौखिक एवं मौखिक बयान के रूप में जवाहर उर्फ जवाहर सिंह पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी बैलारा के बयान पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने समर्थन में न ही दस्तावेजी साक्ष्य एवं न ही मौखिक साक्ष्य पेश किये गये तथा न ही प्रति वकील द्वारा वादी के बयानों की जिरह की गई। प्रतिवादीगण के खिलाफ दिनांक 22.03.2015 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

बहस एकतरफा दिनांक 08.02.2019 को सुनी गई। वादी वकील द्वारा दावा में वर्णित तथ्यो को दोहराया गया। तथा निर्णय तनकीवार निम्न प्रकार है।

तनकी सं. 1 :— आया विवादित आराजी मद सं. 2 वाद पत्र में वादी हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार की हैसियत से काबिज होकर अपने हिस्सेनुसार विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके से दर्ज चले आ रहे वाहक प्रतिवादीगण दर्ज है जिन्हें वादी अपने हिस्से तक कलमजन करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंन्दी संवत 2037 लगायत 2040 Exp.20 वाके ग्राम बैलारा पर ख0न0 131 ,132, 547, 556, 597, 596, 472, 471, 459, 356, 359, 672, 786, 863, 957, 958,757 वाके बैलारा पर 1/3 हिस्से पर वादी की खातेदारी का अकंन है। तथा ख0न0 401, 402, ,404, 405, 406, पर वादी की 1/6 हिस्से पर तथा ख0न0 349, 355 सम्पूर्ण पर वादी की खातेदारी का अंकन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। परन्तु वादी ने फोटो प्रति रजि0 बयनामा तारीख 22.06.77 से वादी ने ख0न0 131,132, 547 ,556, 587, 596, 757, 472, 471, 459, 356, 359, 672, 786, 863, 957, 958 का 1/3 हिस्से में 1/2 हिस्सा यानी 1/6 हिस्सा तथा खन0 401,402,404,405,406, में अपने 1/6 का 1/2 यानी 1/12 तथा ख0न0 349, 353 सम्पूर्ण में 1/2 हिस्सा तथा ख0न0 279, 280 के अपने 7/24 हिस्सा में 1/2 हिस्सा यानी 7/48 हिस्सा प्रतिवादीगण स. 1 व 2 असल को विक्रय कर दिया तथा नामान्तकरण स. 83 वाके ग्राम बैलारा तह0 नदबई पर दर्ज किया गया है। जो Exp.13 है। परन्तु ख0न0 279, 280, 281, किता 3 रकवा 12 विघा 12 विस्वा पर विक्रय पत्र के अनुसार गलती से 7/48 के स्थान पर 14/48 अंकित कर दिया । तथा नामान्तकरण स0 83 का अंकन जमाबन्दी संवत 2037 लगायत 2040 जो Exp.20 में किया गया है। परन्तु नकल जमाबन्दी संवत 2042 लगायत 2045 जो Exp.16 में गलत तरीके से ख.न. 279, 280, 281 के 7/48 के स्थान पर 7/24 हिस्से पर तथा ख.न. 349, 353 सम्पूर्ण के 1/2 के स्थान पर सम्पूर्ण पर तथा ख.न. 131,132, 356, 359, 459, 417, 472, 547, 556, 596, 597, 692, 786, 863, 957, 958,1022, के 1/6 हिस्से के स्थान पर 1/3 हिस्से पर बिना किसी अधिकार के गैर कानूनी तरीके से प्रतिवादीगण स. 1 व 2 असल के पिता का नाम अंकन कर दिया जो काबिल निरस्तनीय है। तथा नामान्तकरण स. 104 विरासतन के आधार पर प्रतिादीस 1 व 2 का अंकन किया गया है। नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2060 के अनुसार उक्त विवेचन के हाल ख.न. 200, 201, 388, 389, 474, 478, 479, 1072 446, 447, 528, 766, 768, 1002, 1027, 1274, 1370, व 1371 के 1/6 हिस्सा पर तथा ख.न. 826, 827, 829, 830, 831 के 1/12 हिस्से पर तथा ख.न. 762, 773, 774 के 1/2 हिस्से पर तथाख.न. 594, 595, 596, 597, 600, 601 के 7/48 हिस्सा पर प्रतिवादीगण स. 1 व 2 के साथ वा हि बराबर खातेदार काश्तकार का इन्द्राजात कराने का अधिकारी है तथा प्रतिवादीगण के वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन कराने का अधिकारी है। अत– उक्त तनकी वादी के हक तय की जाती है तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध की जाती है।

तनकी सं. 2 :– आया वादी सोहनलाल पुत्र सोबाराम प्रति वादी 1 व 2 के पिता के मरने के बाद दर्ज इंतकाल संख्या 104 विरासत को बातिल व बेअसर घोषित करा पाने एवं रजिस्टर्ड वयनामा तारीख 29.05.2008 को शून्य व निष्प्रभावी घोषित करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। तनकी स. 1 के विवरण से यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 1 व 2 के पिता सोहनलाल का विक्रय पत्र तारीख 22.06.77 के अनुसार न होकर गलत इन्द्राजात किया गया तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 का विरासतन के आधार पर नामान्तकरण स. 104 अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी स. 1 व 2 का अंकन गलत किया गया है। जिसे वादी शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित कराने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 ने अपने हक में गलत इन्द्राजात के आधार पर ख. न. 446, 447 किता 2 रकवा 0.19 हैक्ट. के 1/3 हिस्सा का विक्रय पत्र तारीख 29.05. 2008 को प्रतिवादी स. 3 के हक में कर दिया जबकि प्रतिवादी स. 1व 2 का उक्त विक्रय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्र तारीख 29.05. 2008 को शून्य एवं प्रभावहीन घोषित करा पाने का अधिकारी है। अत यह तनकी भी वादी के हक में प्रतिवादी के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 3 :—आया वादी प्रतिवादी सं. 1 लगायत 4 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने का अधिकारी है।उक्त तनकी को भी सिद्ध करने का भार वादी का था तनकी स. 1 के निर्णय के अनुसार यह है कि प्रतिवादी स. 1 व 2 का विक्रय पत्र तारीख 22.06.77 के अनुसार होकर गलत इन्द्राजात के आधार पर किया गया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार वादी विक्रय पत्र 22.6.77 के अनुसार की गई है। आराजी के शेष हिस्से की आराजी पर वादी प्रतिवादी स0. 1 व 2 के साथ काबिल चला आ रहा है। तथा प्रतिवादीगण का गलत इन्द्राज के आधार पर वादी के कब्जे की आराजी में दखल करते है तथा प्रतिवादी स. 1 व 2 से उसके हिस्से का अधिक विक्रय गलत तहरीर करा लिया है। तथा उसके आधार पर प्रतिवादी स. 3 भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नही किये ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की आराजी में किसी प्रकार की दखलंन्दाजी न करने हेतु हुक्म इम्तनाई की डिक्री से पाबन्द करना उचित है। अत— उक्त तनकी भी वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी सं. 4 :— आया प्रतिवादी को एडवर्ड पजेशन के आधार पर आराजी मुतनाजा पर खातेदारी हकूक प्राप्त हो चुके हैं जिसे वादी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त तनकी को सिद्ध करने भार प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादी सं. 1 व 2 का विक्रय की गई आराजी में केवल 1/6 हिस्सा होता है तथा 1/6 हिस्सा पर वादी का होता है। तथा सह खातेदार काश्तकार है। आराजी प्रतिवादी को एडवर्ड पजेशन के आधार पर कोई हक नही बनता है। यह तनकी भी प्रतिवादीगण के खिलाफ एवं वादी के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी सं. 5 :— आया प्रतिवादी वयनामा तारीख 22.06.1977 को बातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने के कारण वाद पत्र काबिले खारिज के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादी ने विक्रय पत्र तारीख 29.05.2008 को अपने हिस्से तक प्रभावहीन घोषित कराने की प्रार्थना की है। तथा विक्रय पत्र को प्रभावहीन घोषित कराने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त है। यह तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी सं. 6 :— आया प्रतिवादी सं. 3 रिकार्ड व मौके के अनुसार बोनाफाइड पर्चेजर है जिसे धारा 41 ट्रांसफर आफ प्रोपर्टीज एक्ट के तहत संरक्षण प्राप्त है। लिहाजा वाद पत्र काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। विक्रय पत्र तारीख 29.05.2008 कु अनुसार प्रतिवादी स. 3 को गलत हिस्से का विक्रय किया गया है। क्योकि प्रति स. 1 व 2 का विक्रय पत्र में अंकित आराजी में केवल 1/6 हिस्से पर ही हक होता है। इसलिए वह केवल 1/6 हिस्से तक कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। क्रेता विक्रेता के हिस्से से अधिक आराजी पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अत यह तनकी प्रतिवादी के खिलाफ तय की जाती है।

अत— उपरोक्त तनकीवार निर्णय से दावा वादी डिक्री किया जाना उचित है। अत आदेश है कि विवादित आराजी ख0न0 200, 201, 388, 389, 474, 478, 479, 1072,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

446,447, 528, 766, 769, 1002, 1072, 1274, 1370, 1371 के 1/6 हिस्से एवं ख0न0 826, 827, 829, 830, 831 के 1/12 हिस्से तथा ख0न0 762, 773, 774 के 1/2 हिस्सा तथा ख0न0 594, 595, 596, 597, 599, 600, 601 के 7/48 हिस्सा यानि कि प्रतिवादीगण असल स. 1 व 2 के साथ वा हि बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा प्रति0स. असल 1 व 2 पक्ष में किया गया इन्तकाल न0 104 तारीख 20.06.06 निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी स0 1 व 2 द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बयनामा तारीख 29.05.2008 वादी के हिस्से तक नल एण्ड बायड घोषित किया जाता है। तथा प्रतिवादी स0 1 व 2 के नाम इन्द्राज खातेदारी को कलमजन किया किया जाता है। तथा बयनामा तारीख 29.05.08 के आधार पर प्रतिवादी स. 3 के नाम इन्तकाल व इन्द्राज खातेदारी कलमजन किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official